अनुमंडल दण्डाधिकारी का न्यायालय खोरीमहुआ (गिरिडीह)

वाद संख्या : 334/2022

(दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–144 के तहत)

बिरेन्द्र कुमार राय | –: बनाम :– | चंदन राय वगैरह

दिनांक	आदेश	अभियुक्ति
06.02.23	थाना प्रभारी, देवरी के प्रतिवेदन के आलोक में जारी कार्यवाही से संबंधित पक्षकारों को सूचित कर सुना गया। प्रथम पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि ग्राम जमडीहा के खाता नं0 81 प्लॉट नं0 107 रकवा 36 डी0 भूमि प्रथम पक्ष को 12163 दिनांक 03.09.1964 के डीड से प्राप्त है जबकि डीड नं0 18950 दिनांक 23.09.1968 से 25 डी0 जमीन प्राप्त हुआ। जिसका जमाबंदी कायम है और रसीद भी कट्ता है। साथ ही प्रथम पक्ष का 32 वर्ष पूर्व का बना मकान भी अवस्थित है। वर्णित जमीन पर कुआं, शौचालय, चापाकल व पेड–पौधे भी है। 1987 में पंचनामा बँट्वारा भी हुआ। अतः विवादित जमीन पर लगे धारा 144 की कार्रवाई को 145 में परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया। द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता का कहना है कि विवादित जमीन 07 डी0 द्वितीय पक्ष को बंदोबस्ती से प्राप्त है और वर्ष 1963 से लगातार रसीद भी निर्गत होता रहा है। उसपर पक्का मकान भी बना है। पुराने मकान को तोडकर पक्का मकान बनाया जा रहा है। प्रथम पक्ष के केवाला को फर्जी होने की बात द्वितीय पक्ष ने बतायी। पूर्व में भी अनुमंडल दण्डाधिकारी, खोरीमहुआ के न्यायालय में वाद 186/22 लाया गया था जो खारीज हो चुका है। अतः वाद को समाप्त करने का अनुरोध किया गया। उभय पक्षों के कागजात के अवलोकन से उभय पक्ष के बीच खतियानी भूमि, खरीद–बिक्री तथा पंचनामा बँट्वारा आधारित वास्तविक दखल को लेकर विवाद रहने तथा उक्त विवाद का निदान इस वाद के तहत संभव नहीं रहना स्पष्ट रहने की स्थिति में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। **लेखापित एवं संशोधित**	

Digitally signed by DHIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2023.06.13 20:53:57 +05:30
Location: 192.168.1.5

06/02/23

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खोरीमहुआ।

06/02/23

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खोरीमहुआ।